उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5 | अंक 23 | 1-15 दिसंबर 2022 | ₹ 20/-

समान नागरिक संहिता के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पर बवाल

- गुजरात के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी भाजपा की जीत
- ब्रिटेन में इस्लाम का तेजी से प्रसार
- इजरायली राष्ट्रपति का बहरीन दौरा
- अमेरिकी अधिकारियों द्वारा दारूल उलूम देवबंद का दौरा

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

समान नागरिक संहिता के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पर बवाल 04
मुस्लिम लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष करने की मांग 07
अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्तियां बंद करने पर विवाद 08
गुजरात के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी भाजपा की जीत 11
धर्मांतरण रोकने के लिए कानून की संभावना 14

विश्व

ब्रिटेन में इस्लाम का तेजी से प्रसार 18
काबुल में चीनी होटल में धमाका 19
बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी के अमीर गिरफ्तार 20
रिश्वत लेने के आरोप में यूरोपीय संसद की नेता गिरफ्तार 21
विद्रोह की आशंका के कारण जर्मनी में अस्त्र-शस्त्र नियमों में कड़ाई 22

पश्चिम एशिया

रूस द्वारा सीरिया और तुर्की के बीच समझौते का प्रयास 24
बेंजामिन नेतन्याहू अपने मंत्रिमंडल का गठन करने में विफल 25
बंदरगाह के निर्माण के लिए छह अरब डॉलर का समझौता 25
ईरान में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी 26
इजरायली राष्ट्रपति का बहरीन दौरा 27

अन्य

अमेरिकी अधिकारियों द्वारा दारूल उलूम देवबंद का दौरा 29
न्यूजीलैंड में युवकों के सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध 29
मुस्लिम देश का चंद्रमा पर लैंड करने वाला मिशन 29
उस्मानिया विश्वविद्यालय में सिविल सेवा अकादमी की स्थापना 30
उमरा वीजा की अवधि में नहीं होगा विस्तार 30

सारांश

देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए राज्य सभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश होने के बाद इस मुद्दे पर फिर से बवाल मच गया है। मुस्लिम कट्टरपंथी इसका विरोध करने के लिए मैदान में उतर आए हैं। हालांकि, आम मुसलमानों में इस मुद्दे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई है। समान नागरिक संहिता के खिलाफ अभियान सिर्फ उर्दू अखबारों के पृष्ठों तक ही सीमित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरूण कुमार मिश्रा का यह कहना सही है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद भारतीय महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव की घटनाओं में कमी आएगी। जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस समय समान नागरिक संहिता को लागू करने का सबसे बढ़िया अवसर है।

जबरन और प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दायर अश्विनी उपाध्याय की याचिका का अदालत ने नोटिस लिया है और सरकार को यह निर्देश दिया है कि इस संबंध में जरूरी कदम उठाए जाएं। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह का कहना है कि अगर जबरन धर्मांतरण को रोका नहीं गया तो इससे राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाएगी। अदालत में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए शपथपत्र में अदालत को यह सूचना दी गई है कि अब तक आठ राज्य सरकारें जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बना चुकी हैं। सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई अभी जारी है।

उर्दू अखबारों ने हाल ही में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव परिणामों के बारे मे एक रोचक जानकारी दी है, जिसके अनुसार गुजरात के 19 मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में से 17 में भाजपा के उम्मीदवारों को सफलता मिली है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने इस चुनाव में छह मुस्लिम उम्मीदावर खड़े किए थे, जिनमें से सिर्फ एक विजयी हुआ है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने 13 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से एक भी उम्मीदवार विजयी नहीं हुआ और अधिकांश उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। आम आदमी पार्टी ने तीन मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे और तीनों की जमानत जब्त हो गई।

उर्दू अखबारों ने इस बात पर चिंता प्रकट की है कि 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में तीन मुस्लिम विधायक जीते थे, जिनकी संख्या अब घटकर एक रह गई है। उर्दू अखबारों ने आंकड़े पेश करते हुए यह साबित किया है कि 1980 के बाद से गुजरात विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है।

काबुल में सुन्नी इस्लामिक आतंकी संगठन आईएसआईएस का खुरासान चैप्टर कहर ढा रहा है। हाल ही में इसने काबुल में चीनियों के एक होटल पर हमला किया। इस हमले में कम-से-कम 21 लोग घायल हो गए और कुछ लोगों की मौत भी हो गई। अफगान सुरक्षा बलों ने तीनों आक्रमणकारियों को मौके पर ही मार गिराया। मगर इस घटना से चीन सरकार बुरी तरह से घबरा गई है और उसने अपने नागरिकों को यह निर्देश दिया है कि वे फौरन बोरिया-बिस्तर बांधकर अफगानिस्तान को खाली कर दें। क्योंकि वे वहां पर सुरक्षित नहीं हैं।

सबसे रोचक बात यह है कि इस इस्लामिक संगठन ने पकिस्तानी दूतावास पर भी हमला किया था। इस संगठन की ओर से ट्वीट करके यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट, क्योंकि इस्लाम के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। अभी तक यह सुन्नी आतंकी संगठन शियाओं को ही अपना निशाना बना रहा था।

इजरायल में राजनीतिक अस्थिरता जारी है। हालांकि, गत साढ़े तीन वर्षों में इजरायली संसद को पांच बार चुनावों का सामना करना पड़ा है, मगर किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इस बार भी जोड़-तोड़ करके 73 वर्षीय बेंजामिन नेतन्याहू ने 120 सीटों वाली इजरायली संसद में 59 पर विजय प्राप्त की थी। बाद में उन्होंने दो अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों को भी अपने गठबंधन में शामिल करके किसी तरह से बहुमत जुटा लिया। इस गठबंधन में भीषण रूप से खींचतान चल रही है। यही कारण है कि नेतन्याहू अभी तक अपने मंत्रिमंडल का गठन तक नहीं कर पाए हैं।

समान नागरिक संहिता के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पर बवाल

अवधनामा (10 दिसंबर) के अनुसार देश में समान नागरिक संहिता के लिए राज्य सभा के एक सदस्य द्वारा पेश किए गए प्राइवेट मेंबर बिल पर बवाल मच गया है। यह बिल भाजपा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पेश किया था, जिसे प्रस्तुत करने के पक्ष में 63 और विरोध में 23 मत पड़े। इस बिल में यह मांग की गई है कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय निरीक्षण और जांच समिति का गठन की जाए। जब सांसद सदन में इस बिल को पेश करने का प्रयास कर रहे थे तो कई विपक्षी पार्टियों ने उनका विरोध किया, जिनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आदि शामिल हैं।

इस बिल का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद प्रो. राम गोपाल यादव ने कहा कि मुसलमान अपने चाचा की बेटी से विवाह करने को उचित मानते हैं। क्या हिंदू ऐसा कर सकते हैं? इसलिए सभी धर्मों की अलग-अलग परंपराओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस बिल के विरोध में बीजू जनता दल के सांसद सदन से वाकआउट कर गए और उन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया।

सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री और राज्य सभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी सदस्य को बिल पेश करने और अपना मुद्दा उठाने का अधिकार है। उन्होंने विपक्षी दलों के विरोध का उल्लेख करते हुए कहा कि जब यह बिल सदन में पेश होगा तो इस पर प्रत्येक दल अपना विचार रख सकता है। मगर सीपीआईएम के सांसद जॉन ब्रिटास ने विधि आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि आयोग ने कहा है कि इस देश में समान नागरिक संहिता की कोई आवश्यकता नहीं है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के तिरुचि शिवा ने कहा कि समान नागरिक संहिता की कल्पना ही सेक्युलरिज्म के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।

गौरतलब है कि देश में लगातार समान नागरिक संहिता को लागू करने की बातें चल रही हैं। भाजपा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक आदि राज्यों में समान नागरिक संहिता को लागू करने का संकेत दे चुकी है। ऐसी स्थिति में

राज्य सभा में इस बिल के पेश किए जाने का विशेष महत्व है। हालांकि, संसदीय परंपरा के अनुसार प्राइवेट मेंबर बिल को पास करवाना बहुत कठिन होता है। राज्य सभा के इतिहास में सिर्फ तीन प्राइवेट मेंबर बिल ही आज तक पास हुए हैं। गुजरात के चुनावी घोषणापत्र में भी भाजपा ने समान नागरिक संहिता को लागू करने का वायदा किया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (10 दिसंबर) के अनुसार जैसे ही सदन के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस बिल को सदन में पेश करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा का नाम पुकारा, विपक्ष के अनेक सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और कहा कि इस बिल को पेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस पर धनखड़ ने कहा कि यह सदन चर्चा के लिए है और इसमें सांसदों को अपने बिल पेश करने और उस पर चर्चा करने का अधिकार है। पीयूष गोयल ने कहा कि यह बिल संविधान की भावना के अनुसार है। इसलिए इसका विरोध करना फिजूल है। सीपीआईएम के एलामारम करीम, सीपीआईएम के जॉन ब्रिटास, डीएमके के तिरुचि शिवा, कांग्रेस के एल. हनुमनथैया और इमरान प्रतापगढ़ी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान ने भी इस बिल का विरोध किया।

इत्तेमाद (10 दिसंबर) के अनुसार इस बिल के पेश किए जाने का विरोध करते हुए वाईएसआर कांग्रेस, टीएमसी और बीजेडी के सदस्य सदन से वाकआउट कर गए। तृणमूल कांग्रेस के जौहर सिरकार ने कहा कि यह बिल गैर-सेक्युलर और संविधान के विरूद्ध है। इसे सदन में पेश करके भाजपा एक खतरनाक खेल की शुरुआत कर रही है। मुस्लिम लीग के पी.वी. अब्दुल वहाब ने कहा कि यह बिल आरएसएस और भाजपा के एजेंडे का हिस्सा है। वे देश के सेक्युलर ढांचे को तबाह करना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने कहा कि पहले भी छह बार इस तरह के बिल को पेश करने की कोशिश की गई थी। मगर सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष के विरोध के चलते उसको रोक दिया था।

इंकलाब (1 दिसंबर) के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समान नागरिक संहिता पर बयान देते हुए कहा कि अब पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का समय आ गया है और सभी राज्यों को इस पर विचार करना चाहिए। जो इसे लागू कर रहे हैं, वे बधाई के पात्र हैं।

इंकलाब (13 दिसंबर) के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरूण कुमार मिश्रा ने कहा है कि संविधान में देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का जो निर्देश दिया गया है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करने से देश में महिलाओं के साथ भेदभाव दूर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लागू करने का स्पष्ट निर्देश है।

मुंबई उर्दू न्यूज (11 दिसंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महामंत्री मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने राज्य सभा में पेश किए गए बिल की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, जिसमें हर धर्म के अनुयायी को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह का विवादित बिल पेश कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध अंत तक करता रहेगा।

सियासत (10 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा कि भाजपा राज्य सभा में इस प्राइवेट मेंबर बिल को पेश करके जनता के मूड को भांपना चाहती है। उसका यह प्रयास है कि इस मुद्दे को उछालकर उसका राजनीतिक लाभ

उठाया जाए। समान नागरिक संहिता एक संवेदनशील मुद्दा है और यह संविधान की सेक्युलर भावना के खिलाफ है। यह किसी एक विशेष वर्ग को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि इसका असर देश के प्रत्येक नागरिक पर होगा। इसलिए संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय भाजपा को देश की एकता को बरकरार रखने पर ध्यान देना चाहिए और इस मामले पर राजनीतिक खेल नहीं होनी चाहिए। इससे देश में बेचैनी पैदा होगी।

इत्तेमाद (10 दिसंबर) ने भी अपने संपादकीय में इस बिल को सदन में पेश करने का विरोध किया है और कहा है कि इस देश का सामाजिक ताना-बाना तबाह हो जाएगा और देश की एकता खंडित हो जाएगी। इससे बहुसंस्कृतिवाद की भावना को चोट पहुंचेगी। संपादकीय में कहा गया है कि भाजपा शुरू से ही देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कर रही है। इस संबंध में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर चुके हैं। दरअसल, संघ परिवार का सपना इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और यह इसी दिशा में एक कदम है। इससे पूर्व भाजपा गुजरात में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर विचार के लिए एक पैनल बना चुकी है और ऐसा ही उत्तराखंड में भी किया गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वालों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि इसका विरोध मुसलमानों के अतिरिक्त आदिवासी, दलित, सिख, ईसाई और पूर्वोत्तर भारत के अन्य वर्ग भी कर रहे हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से मुसलमानों की सभ्यता और संस्कृति को समाप्त करके उनके ईमान और यकीदे पर हमला करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए एक बार फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ को निशाना बनाया गया है। यह बिल सरकार की तरफ से नहीं बल्कि राज्य सभा के एक सदस्य द्वारा पेश किया गया है। हालांकि, यह बिल सिर्फ मुसलमानों की भावनाओं पर चोट करने के लिए पेश किया गया है। मगर इससे इस देश का प्रत्येक नागरिक प्रभावित होगा। सत्तारूढ़ दल ने अपनी सांप्रदायिक राजनीति को प्रोत्साहन देने के लिए इस बिल को पेश किया है और उसका लक्ष्य इस देश पर एक ही संस्कृति को थोपना और हिंदूवादी एजेंडे को लागू करना है। इसलिए इसका हर स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए।

रोजनामा सहारा (11 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा राजस्थान का आगामी विधानसभा चुनाव समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर लड़ना चाहती है। इसलिए उसने यह बिल पेश किया है। संपादकीय में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समय भी स्वयं को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों ने इसी तरह से वाकआउट किया था। मगर बाद में लोगों को यह समझने में देर नहीं लगी कि उनका यह वाकआउट एक तरह से सीएए को पास करवाने में ही परोक्ष रूप से सहयोग था। जब एक सदस्य ने प्राइवेट मेंबर बिल सदन में पेश किया तो कुछ विपक्षी दलों के सांसदों ने इस पर जमकर हंगामा किया। मगर यह बात समझ में नहीं आती कि जब इस बिल का प्रस्ताव सदन में पेश करने के लिए आया तो ये विपक्षी सदस्य मतदान में भाग लेने के बजाय वाकआउट क्यों कर गए? क्या वे यह नहीं समझते कि उनकी इस हरकत से बिल का विरोध करने वाले कमजोर पड़ जाएंगे।

सच तो यह है कि इन पर्टियों से लोगों का मोहभंग इसलिए हो रहा है, क्योंकि वे स्वयं को तो सेक्युलरवादी घोषित करते हैं, मगर समय पड़ने पर उनकी हरकतें सेक्युलरवाद के विपरीत होती हैं। अब यह दोहरी राजनीति सोशल मीडिया के इस युग में नहीं चल सकती। इस राजनीति का नुकसान ऐसी पार्टियों को उठाना पड़ेगा।

मुस्लिम लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष करने की मांग

मुंबई उर्दू न्यूज (12 दिसंबर) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में लड़कियों के विवाह की उम्र 18 वर्ष करने के बारे में केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस राष्ट्रीय महिला आयोग की एक याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें धर्म और पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए अव्यस्क मुस्लिम लड़कियों के विवाह पर आपत्ति की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस नोटिस पर केंद्र सरकार को चार सप्ताह के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने कहा है कि मुसलमानों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों में लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र कानून के अनुसार है। विवाह के लिए पुरुष की उम्र कम-से-कम 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित है। गौरतलब है कि महिला आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णयों का उल्लेख किया गया था। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ का उल्लेख करते हुए मुस्लिम लड़कियों के पहली बार रजस्वला होने के बाद कभी भी विवाह करने को उचित करार दिया गया है। आयोग ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उसने एक 15 वर्षीय मुस्लिम लड़की के विवाह को उचित करार दिया था।

अवधनामा (1 दिसंबर) के अनुसार झारखंड उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए अपने एक निर्णय में कहा है कि 15 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र की मुस्लिम लड़कियों को अपने अभिभावकों की मर्जी के बिना भी अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से विवाह करने की स्वतंत्रता है। अदालत ने यह निर्णय एक मुस्लिम नौजवान के खिलाफ दर्ज किए गए एफआईआर के आधार पर दिया है, जिसने अपनी बिरादरी की 15 वर्षीय लड़की से विवाह किया था।

एफआईआर में यह आरोप लगाया गया था कि बिहार के नवादा के रहने वाले 24 वर्षीय मोहम्मद सोनू ने झारखंड के जमशेदपुर की एक 15 वर्षीय मुस्लिम लड़की को विवाह का प्रलोभन देकर उसका अपहरण किया था। यह एफआईआर लड़की के पिता ने सोनू के खिलाफ कराया था। हालांकि, बाद में अदालत में यह बताया गया कि इस विवाह को दोनों परिवारों ने स्वीकार कर लिया है।

न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि यह शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुई थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ की धारा 195 के अनुसार अगर लड़की की उम्र 15 वर्ष हो तो वह शरिया के अनुसार अपनी पसंद के लड़के के साथ विवाह कर सकती है।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में यह तर्क दिया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक अगर कोई लड़की रजस्वला हो जाती है तो उसका निकाह कराया जा सकता है और उसमें अभिभावकों को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वकील ने इस संदर्भ में हरियाणा उच्च न्यायालय के एक फैसले का भी जिक्र किया था, जिसने यूनुस खान नामक व्यक्ति द्वारा 15 वर्षीय लड़की से विवाह को उचित ठहराया गया था। हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा था कि 15 वर्ष की मुस्लिम लड़की को अपनी पसंद का विवाह करने का अधिकार है।

अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्तियां बंद करने पर विवाद

सालार (30 नवंबर) के अनुसार शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत पहली से आठवीं कक्षा के सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देने का वायदा किए जाने के बावजूद केंद्र सरकार ने पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों को पहली से आठवीं कक्षा तक दी जाने वाली सभी छात्रवृत्तियों को बंद करने की घोषणा की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि पहले एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को मैट्रिक कक्षा से पूर्व जो छात्रवृत्तियां दी जा रही थीं, वह अब सिर्फ नौवीं और दसवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को ही दी जाएगी। पहली से आठवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को इस योजना से कोई लाभ नहीं होगा।

केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया है कि शिक्षा का अधिकार के तहत क्योंकि पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था है, इसलिए उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के तहत भी अब अल्पसंख्यक छात्रों को नौवीं और दसवीं कक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। देश की विभिन्न राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार के इस फैसले की आलोचना की है और इसे समाज के कमजोर वर्ग पर एक चोट बताया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि केंद्र सरकार ने गरीब वर्ग के खिलाफ एक साजिश है। गत आठ वर्ष के दौरान केंद्र सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के कल्याण योजनाओं में भारी कटौती की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी।

बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली ने केंद्र सरकार के इस फैसले को अल्पसंख्यकों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश करार दिया है।

औरंगाबाद टाइम्स (13 दिसंबर) के अनुसार केंद्र सरकार ने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को भी अल्पसंख्यकों के लिए बंद कर

दिया है। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि ये छात्रवृत्तियां अल्पसंख्यकों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दी जा रही थीं। क्योंकि, यह योजना दूसरी योजनाओं के साथ ओवरलैप करती है, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है।

स्मृति ईरानी ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2014-15 और 2021-22 के बीच 738 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति के रूप में 6722 छात्रों को दी गई थी। यह योजना 2009 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत बौद्धों, ईसाईयों, जैनियों, मुसलमानों, पारसियों और सिखों को एमफिल और पीएचडी करने के लिए पांच वर्ष तक आर्थिक सहायता दी जाती थी। यह योजना सच्चर कमेटी की सिफारिशों के बाद शुरू की गई थी।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (15 दिसंबर) के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में यह स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को समाप्त नहीं किया जा रहा है। इस सिलसिले में जो समाचार फैलाए जा रहे हैं, वे तथ्यहीन और भ्रामक हैं। वित्त मंत्री लोकसभा में 2022-23 के लिए सवा तीन लाख करोड़ के अनुदान की मांग के बारे में हो रही चर्चा का उत्तर दे रही थीं।

गौरतलब है कि इस योजना को रद्द किए जाने के खिलाफ वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और कुछ अन्य संगठनों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया था। वित्त मंत्री ने कहा कि इस समय जो छात्र मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप ले रहे हैं, उन्हें पूरी सहायता प्रदान की जाएगी।

सियासत (13 दिसंबर) के अनुसार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ई.टी. मोहम्मद बशीर ने यह मांग की कि प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप को जारी रखा जाए, क्योंकि लाखों छात्र अपनी शिक्षा के लिए इस योजना पर निर्भर हैं।

इत्तेमाद (13 दिसंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद सैयद इम्तियाज जलील ने लोकसभा में मांग की कि प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप को बहाल किया जाए।

मुंबई उर्दू न्यूज (14 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अगर विपक्षी पार्टियां, अल्पसंख्यक नेता और मुस्लिम संगठन विरोध

प्रकट करते तो सरकार को प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप और मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बंद करने की हिम्मत नहीं होती। समाचारपत्र ने यह आरोप लगाया है कि जब गत वर्ष जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बजट में भारी कटौती की गई तब कुछ बयानबाजियों के अतिरिक्त अधिकांश राजनेता खामोश रहे। हालांकि, इन विश्वविद्यालयों के बजट में जो कटौती की गई थी वह अफसोसनाक थी।

समाचारपत्र ने कहा है कि जामिया मिलिया इस्लामिया का 2021-22 का बजट 411 करोड़ 10 लाख था। लेकिन 2022-23 में इसे घटाकर 105 करोड़ 95 लाख कर दिया गया। ऐसा ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ भी किया गया। पिछले वर्ष इसका बजट 1214 करोड़ रुपये था, जिसे घटाकर 302 करोड़ कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और राजीव गांधी विश्वविद्यालय को भी नहीं बख्शा गया है। इनकी बजट में कोई कटौती तो नहीं की गई है, लेकिन वृद्धि भी नहीं की गई है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। शायद इसलिए कि इन विश्वविद्यालयों में सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठती रही हैं। शायद यह इसलिए भी है कि दो विश्वविद्यालय, जिनके बजट में काफी कटौती की गई है, अल्पसंख्यकों की हैं। या आप यह कह लें कि इनके नाम के साथ मुस्लिम और इस्लामिया जुड़ी हुई हैं।

साफ है कि सरकार अल्पसंख्यकों को शिक्षा की सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो छात्रों का प्रदर्शन हुआ, उसका कारण यह था कि वहां पर फीस में वृद्धि की गई। यह वह विश्वविद्यालय है, जहां मामूली फीस अदा करके गरीब घरानों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते रहे हैं। इनके लिए होस्टलों की फीस भी मामूली रखी गई है। मगर अब सरकार यह प्रयास कर रही है कि इसमें वृद्धि की जाए।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र भी फीस में वृद्धि के खिलाफ तीन महीने से धरना दे रहे हैं। ये सभी विश्वविद्यालय आम लोगों को शिक्षा देने के लिए थीं। अब सरकार इनकी फीस में जो वृद्धि कर रही है उसका एक मात्र लक्ष्य यह है कि देश की गरीब जनता को शिक्षा की सुविधा से वंचित रखा जाए। सरकार आम लोगों को जाहिल रखने में ही अपना भला समझती है, ताकि वे उसकी तानाशाही के खिलाफ आवाज न उठा पाएं।

इत्तेमाद (2 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय की जिम्मेवारी स्मृति ईरानी को सौंपी है। मीडिया में आने वाले समाचारों से यह आभास मिलता है कि मोदी सरकार का इरादा अल्पसंख्यक मंत्रालय को समाप्त करने या उसे अन्य मंत्रालयों में विभाजित करने का है। इसलिए अल्पसंख्यक कल्याण की सभी योजनाओं को समाप्त किया जा रहा है। इस सरकारी फैसले की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत-ए-उलेमा ने निंदा की है और कहा है कि ये छात्रवृत्तियां सच्चर कमेटी रिपोर्ट के नतीजे के तौर पर जारी की गई थीं,

ताकि मुसलमानों के आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सके।

मोदी सरकार एक ओर तो 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा देती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वे मुसलमान छात्रों के एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। ये नारे सिर्फ अरब देशों को खुश करने और दुनिया को दिखाने के लिए लगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को बढ़ाया जा रहा है। मदरसों का सर्वे करके उन्हें बंद किया जा रहा है। असम में मदरसों के अध्यापकों को आतंकवादी घोषित करके उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि मुसलमान बच्चे मुफ्त दीनी तालीम हासिल न कर सकें। अब मुसलमानों पर कुठाराघात करने के लिए शिक्षा का अधिकार का सहारा लेकर प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियों को बंद कर दिया गया है।

इत्तेमाद (13 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में मुसलमान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं को बंद करने की निंदा की है और कहा है कि मजलिस के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए संसद में कहा है कि केंद्र सरकार गरीब मुसलमानों को सजा दे रही है। एक ओर तो नरेन्द्र मोदी 'सबका साथ, सबका विकास' के दावे करते हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब मुसलमान बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि उच्च शिक्षा के लिए जो मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप दी जा रही थी उसको भी रोक दिया गया है।

गुजरात के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी भाजपा की जीत

मुंबई उर्दू न्यूज (10 दिसंबर) के अनुसार गुजरात में मुसलमानों की जनसंख्या हालांकि 9 प्रतिशत है, मगर राज्य में 19 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पर जीत की कुंजी मुसलमानों के हाथ में है। इन 19 विधानसभा क्षेत्रों में से 17 में भाजपा जीती है। हालांकि, भाजपा ने गुजरात विधानसभा के 182 सीटों में से एक पर भी मुसलमानों को अपना टिकट नहीं दिया था। भाजपा ने 1998 में अंतिम बार एक मुसलमान को विधानसभा चुनाव में खड़ा किया था। मुस्लिम बहुल 19 सीटों में से एक सीट जमालपुर-खड़िया से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान खेड़ावाला विजयी हुए हैं।

इन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में न तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) को ही कोई सफलता मिली है और न ही आम आदमी पार्टी को। इनमें से अधिकांश विधानसभा की एक ही सीट से कई मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे। उदाहरणस्वरुप, लिंबायत विधानसभा सीट पर 44 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 36 मुसलमान थे। यहां से 52 प्रतिशत वोट लेकर भाजपा की संगीताबेन राजेंद्र पाटिल ने जीत दर्ज की है और 20 प्रतिशत वोटों के साथ आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा है।

इस बार सिर्फ एक मुसलमान विधायक, कांग्रेस के इमरान खेड़ेवाला गुजरात विधानसभा में प्रवेश करने में सफल रहे हैं। जबकि 2017 में तीन मुसलमान विधायक गुजरात विधानसभा में पहुंचे थे, जिनमें वाकांनेर से एम.ए. पीरजादा, दरियापुर से ग्यासुद्दीन शेख और जमालपुर-खड़िया से इमरान खेड़ावाला शामिल थे। मगर इस बार एम.ए. पीरजादा और ग्यासुद्दीन शेख चुनाव हार गए। मुस्लिम बहुल क्षेत्र गोधरा से भाजपा के उम्मीदवार सी.के. राउलजी चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। उन्होंने ही बिलकिस बानो कांड के आरोपियों को संस्कारी बताया था।

ए.आई.एम.आईएम. ने मुस्लिम बहुल 19 सीटों में से 13 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे,

लेकिन उनका असर कहीं पर नजर नहीं आया। उनके उम्मीदवारों को बहुत कम वोट मिले। गुजरात विधानसभा के चुनाव में एआईएमआईएम के उम्मीदवार वोटकटवा भी नहीं बन सके। सिर्फ भुज की एक सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार को सबसे ज्यादा 36.17 प्रतिशत मत मिले, मगर फिर भी ये मत भाजपा के उम्मीदवार को मिले मतों से बहुत कम हैं।

चुनाव परिणामों के मुताबिक भाजपा को विधानसभा चुनाव में जबर्दस्त कामयाबी मिली है। पिछले चुनाव में इसे 99 सीटें मिली थीं, जो कि इस बार बढ़कर 156 हो गई हैं। गुजरात को सांप्रदायिक नफरत की प्रयोगशाला कहा जाता है और इस बार भी यही साबित हुआ है। वहां के चुनाव में किसी राष्ट्रीय मुद्दे ने मतदाताओं को आकर्षित नहीं किया। मुसलमानों के प्रति नफरत का सिक्का इन चुनावों में खूब चला।

सालार (10 दिसंबर) के अनुसार 2017 में गुजरात विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या तीन थी, जो अब घटकर एक रह गई है। कांग्रेस ने छह मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए थे, जिनमें से एक ही जीता है। गुजरात विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 1980 के बाद तेजी से कम हुआ है।

इंकलाब (9 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि गुजरात विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों के वोट के विभाजन के कारण भाजपा को सफलता मिली है। आम आदमी पार्टी का गुजरात में दाखिला और एआईएमआईएम के जबर्दस्त अभियान के कारण मुसलमानों के वोटों में विभाजन हुआ है। राज्य में मुस्लिम मतदाताओं का अनुपात दस प्रतिशत है। तीस से ज्यादा विधानसभा की सीटें ऐसी हैं, जहां मुसलमान 15 प्रतिशत वोटों के साथ किसी भी पार्टी के उम्मीदवार की हार जीत को तय कर सकते हैं। 20 सीटों में मुसलमानों का अनुपात 20 प्रतिशत से भी अधिक है। दस सीटें ऐसी हैं, जहां पर मुसलमानों का अनुपात 26 से 48 प्रतिशत है। मगर इस बार इन सीटों पर भी भाजपा ही जीती है।

मुस्लिम बहुल क्षेत्र दरियापुर पर गत दस वर्षों से कांग्रेस का कब्जा था। यहां कांग्रेस के उम्मीदवार ग्यासुद्दीन शेख बीजेपी के कौशिक जैन से हार गए। ग्यासुद्दीन शेख 4 हजार वोटों से पराजित हुए। जबकि इसी सीट पर आम आदमी पार्टी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार ताज मोहम्मद कुरैशी को खड़ा किया था, जिसे 4 हजार से अधिक वोट मिले। जबकि मजलिस के उम्मीदवार हसन खान को 1700 से अधिक वोट मिले। इस सीट से कई निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवार भी खड़े हुए थे। मुस्लिम वोटों के विभाजन ने इस सीट से भाजपा को जीत दिला दी। आम आदमी पार्टी ने तीन मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया। मुस्लिम क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी और मजलिस ने मुसलमानों के वोटों को विभाजित करने का जो खेल खेला, उससे भाजपा को सीधा फायदा हुआ।

समाचारपत्र का कहना है कि ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार खड़े नहीं किए गए थे। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और

एआईएमआईएम ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया था। लेकिन भाजपा की आंधी में सभी बह गए। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से भाजपा को 156, कांग्रेस को 17 और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। एक सीट समाजवादी पार्टी ने जीती। जबकि तीन निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए। भाजपा ने क्योंकि किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को अपना टिकट नहीं दिया था, इसलिए वहां से कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन कांग्रेस ने जिन छह मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया था, उनमें से सिर्फ एक ही जीता। आम आदमी पार्टी ने तीन मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे। जबकि एआईएमआईएम ने 13 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे।

कांग्रेस ने जिन छह मुस्लिम उम्मीदवारों को अपना टिकट दिया था, उनमें असलम साइकिलवाला (सूरत पूर्वी), मोहम्मद जावेद पीरजादा (वांकानेर), जाट मामद जंग (अब्दासा), सुलेमान पटेल (वागरा), ग्यासुद्दीन शेख (दरियापुर) और इमरान खेड़ेवाला (जमालपुर-खड़िया) शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने दरियापुर से ताज मोहम्मद कुरैशी, जंबूसर से साजिद रेहान और जमालपुर-खड़िया से हारून नागोरी को मैदान में उतारा था। सूरत पूर्वी से कांग्रेस उम्मीदवार असलम साइकिलवाला को 42 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। जबकि भाजपा उम्मीदवार अरविंद शांतिलाल राणा ने 52 प्रतिशत वोट प्राप्त करके जीत दर्ज की। वांकानेर से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद पीरजादा ने 30 प्रतिशत वोट प्राप्त किए और दूसरे स्थान पर रहे। इस सीट से भाजपा के उम्मीदवार जितेंद्र कांतिलाल सोमानी ने 39 प्रतिशत वोट प्राप्त करके जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार 26 प्रतिशत मत प्राप्त करके तीसरे नंबर पर रहा।

इसलिए कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने इस सीट से कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया और यही कारण है कि यहां से भाजपा को सफलता मिली। अबड़ासा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जाट मामद जंग ने भाजपा उम्मीदवार प्रद्युमन सिंह जडेजा से अच्छी टक्कर ली। मामद जंग को 43 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। जबकि भाजपा उम्मीदवार को 49 प्रतिशत वोट मिले। वागरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार सुलेमान पटेल 43 प्रतिशत वोट प्राप्त करके दूसरे स्थान पर रहे। यहां से भाजपा उम्मीदवार अरूण सिंह राणा ने 51 प्रतिशत मत प्राप्त करके जीत दर्ज की।

दरियापुर सीट से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे। कांग्रेस उम्मीदवार ग्यासुद्दीन शेख को 44 प्रतिशत वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ताज मोहम्मद कुरैशी को 4 प्रतिशत वोट मिले। मुस्लिम वोटों के विभाजन के कारण भाजपा के उम्मीदवार कौशिक जैन 49 प्रतिशत वोट प्राप्त करके जीत गए। जमालपुर-खड़िया से भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे। मगर कांग्रेस उम्मीदवार 45 प्रतिशत वोट प्राप्त करके जीत गए और आम आदमी पार्टी के हारून नागोरी को सिर्फ 4 प्रतिशत वोट मिले। जंबूसर से आम आदमी पार्टी ने जिस मुस्लिम उम्मीदवार साजिद रेहान को खड़ा किया था, उन्हें सिर्फ दो प्रतिशत मत मिले।

अवधनामा (14 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि गुजरात में भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था। कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। भाजपा ने दोनों हाथों से वोट बटोरे। लेकिन यह भी हुआ कि गुजरात दंगों की बदनामी के जिस दाग को 20 वर्ष में थोड़ा-थोड़ा करके धोया गया था, उसे अमित शाह ने अपने बड़बोलेपन से एक बार फिर जिंदा कर दिया। उन्हें जो लाभ मिला वह अस्थाई है। मगर इसके दीर्घकालीन नुकसान होंगे।

हिमाचल और दिल्ली में हार के कारण भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा नहीं

हो सका। हालांकि, दिल्ली में मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट नहीं दिए और उसे इसका नुकसान झेलना पड़ा।

मुंबई उर्दू न्यूज (11 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में मुसलमानों से अपील की है कि वे हाल के चुनाव से सबक लें। रामपुर में जो हुआ उससे हर मुसलमान को निराशा ही होगी। मगर यह नुकसान सिर्फ मिल्लत के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम वोट अभी भी एकजुट नहीं है। यही कारण है कि गुजरात में 19 मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में से 17 पर भाजपा का कब्जा हो गया। अगर मुसलमान भाजपा के खिलाफ थे, तो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भाजपा कैसे कामयाब हो गई? मुसलमानों के वोट किसे मिले? अगर उन्होंने वोट नहीं डाले, तो क्यों नहीं डाले? उनके वोट विभाजित क्यों हुए? ये सवाल गुजरात से उठे हैं और हर जगह चुनाव के बाद यही सवाल उठते रहे हैं। मगर मुसलमानों ने इन सवालों का जवाब तलाश करने और उसका हल निकालने का कोई प्रयास नहीं किया।

समाचारपत्र का कहना है कि अगर नरेन्द्र मोदी मैदान में न होते तो भाजपा को इतनी सीटें नहीं मिलती। दिल्ली में 15 वर्ष से भाजपा का नगर निगम पर कब्जा था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसे समाप्त कर दिया। यह अच्छी बात है। यह बहस गैरजरूरी है कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस कौन सी दूध की धुली हुई है। अब हमें भाजपा को देखना है। अगर उस पर विचार न किया जाएगा, तो हर जगह रामपुर होगा। आप यह भलीभांति जानते हैं कि रामपुर में मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया गया। पुलिस ने लोगों के घरों में घुसकर भयभीत किया। यह योगी आदित्यनाथ सरकार का हिंदुत्व है। आने वाले दिनों में यह पूरे देश का कानून बन जाएगा। आज हिंसा करके मुसलमानों को वोट डालने से रोका जा रहा है। कल कानून बनाकर उनके मतदान के अधिकार को ही छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमान जाग जाएं और सोने वाले दूसरे लोगों को भी जगाएं।

धर्मांतरण रोकने के लिए कानून की संभावना

उर्दू के अनेक अखबारों ने यह भविष्यवाणी की है कि केंद्र की भाजपा सरकार धर्मांतरण के कानून को पेश करने की तैयारी कर रही है।

सियासत (29 नवंबर) के अनुसार केंद्र सरकार ने धोखाधड़ी, दबाव व लालच के कारण धर्मांतरण को एक गंभीर समस्या बना दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल शपथपत्र में सरकार ने कहा है कि नौ राज्यों ने इसको रोकने के लिए कानून बनाया है और इस दिशा में केंद्र सरकार भी जरूरी कदम उठाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्त्वपूर्ण निर्णय का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि हालांकि, संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का बुनियादी अधिकार है। मगर किसी का धर्मांतरण

करने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम.आर. शाह की पीठ गैरकानूनी धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग पर विचार कर रही है।

पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस तरह के धर्म परिवर्तन को देश की एकता और सार्वभौमिकता के लिए खतरा बताया था। अदालत ने केंद्र सरकार से याचिका पर जवाब मांगा था। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में तमिलनाडु की लावण्या केस का उदाहरण देते हुए सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की गई थी। वहां की एक 17 वर्षीय छात्रा लावण्या ने इसी वर्ष 19 जनवरी को आत्महत्या कर ली थी। इससे पूर्व उसने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें कहा था कि उसका स्कूल उस पर ईसाई बनने के लिए दबाव डाल रहा है और उसे निरंतर परेशान किया जा रहा है, जिसके कारण वह आत्महत्या कर रही है। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी थी और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे बरकरार रखा था।

कौमी तंजीम (14 दिसंबर) के अनुसार विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि लव जिहाद और धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए तत्काल सख्त कानून बनाया जाए। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन ने एक संवाददाता सम्मेलन में 400 से अधिक लव जिहाद की घटनाओं का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि केरल उच्च न्यायालय ने 2010 में लव जिहाद को धर्मांतरण का सबसे भयानक रूप करार दिया था और इसके पीछे कट्टर मुस्लिम नेताओं का हाथ बताया था। केरल की हादिया के मामले से यह सिद्ध हो गया था कि पीएफआई जैसे संगठन करोड़ों रुपये देकर सर्वोच्च वकीलों को जिहादियों के पक्ष में मुकदमा लड़ने के लिए खड़ा करते हैं। उन्होंने कहा कि अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद का आतंकवादियों से गठजोड़ है और इसे राज्य स्तर पर कानून बनाकर नहीं रोका जा सकता।

इसके लिए यह जरूरी है कि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार सख्त कानून बनाए।

उन्होंने यह भी कहा कि केरल और कर्नाटक के चर्च ने यह आरोप लगाया है कि 10 हजार ईसाई लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। जबकि हैदराबाद में 2 हजार लड़कियों के लापता होने की चर्चा है, जिसके बारे में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से धर्मांतरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है।

सियासत (7 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि ईसाई पादरियों के बारे में यह आम शिकायत है कि वे प्रलोभन देकर दूसरे धर्मों के लोगों का धर्मांतरण कराकर उन्हें ईसाई बनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने कहा है कि स्वेच्छा से धर्मांतरण करना अलग बात है, जबकि प्रलोभन द्वारा दूसरों का धर्म परिवर्तन करना अलग बात है। अदालत खाना, भोजन और चिकित्सा आदि की आड़ में धर्मांतरण के मामलों का अध्ययन करेगी। अदालत ने कहा कि देश में जबरन या धोखे से धर्मांतरण एक गंभीर मामला है। हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। अपने पसंद का धर्म अपनाने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। मगर किसी को किसी चीज का लालच देकर उसका धर्मांतरण करने का अधिकार नहीं है। भलाई के काम की आड़ में धर्मांतरण करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए।

इंकलाब (29 नवंबर) के अनुसार देश में सुर्खियां बटोर रहे श्रद्धा और निधि गुप्ता हत्याकांड मामले के दौरान उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण विरोधी कानून फिर चर्चा का केंद्र बन गया है। उत्तर प्रदेश में यह कानून पिछले दो वर्षों से लागू है और इसके तहत 290 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें 50 से ज्यादा अल्पव्यस्कों से जुड़े हुए हैं। सरकारी आकड़ों के अनुसार अब तक इस सिलसिले में 291 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 59 का संबंध अल्पसंख्यक बच्चों से है।

इस सिलसिले में अब तक 507 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुरादाबाद, शाहजहांपुर, मेरठ, अमरोहा, बरेली, लखनऊ आदि जिलों में इस कानून के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा मुकदमे बरेली में दर्ज हुए हैं। इसके बाद मेरठ, गोरखपुर और आगरा का नंबर आता है। इस कानून के लागू होने के पहले वर्ष में कुल 108 मुकदमे दर्ज हुए थे। इसमें से 72 में चार्जशीट दायर की गई हैं। जबकि 11 मामले इसलिए वापस ले लिए गए, क्योंकि जांच पड़ताल में पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। इस कानून के तहत, दो विभिन्न धर्मों से संबंधित व्यक्तियों को शादी करने से पूर्व जिलाधिकारी को लिखित रूप से सूचना देनी होगी और उनकी अनुमति के बाद ही यह विवाह हो सकता है। इस कानून के तहत आरोपी को तीन से दस वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।

इंकलाब (19 नवंबर) के अनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भाजपा सरकार द्वारा पारित धर्मांतरण विरोधी कानून को असंवैधानिक करार दिया है और यह निर्देश दिया है कि इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई न की जाए। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 10 के तहत धर्मांतरण को सख्त बनाते हुए यह शर्त लगाई थी कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले जिलाधिकारी के पास एक शपथपत्र दाखिल करना होगा। इसमें यह बताना होगा कि वह धर्मांतरण किसी जबरन या दबाव के तहत तो नहीं कर रहा है। इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए तीन से पांच वर्ष कारावास और 50 हजार जुर्माने का भी प्रावधान किया गया था।

इस कानून में एक धारा यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति विवाह के लिए किसी को धर्मांतरण करने पर मजबूर करता है तो उसे दस वर्ष की जेल होगी। परंतु पिछले दिनों जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस प्रकाश चंद्र गुप्ता की पीठ ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा न चलाए, जिन्होंने अपनी पसंद से विवाह किया है और उसमें जबरन धर्मांतरण शामिल नहीं है।

रोजनामा सहारा (7 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि संघ की पत्रिकार 'ऑर्गेनाइजर' ने यह दावा किया है कि ई-कॉमर्स की एक बड़ी कंपनी अमेजन द्वारा धर्मांतरण के अभियान के लिए धन उपलब्ध कराया जा रहा है। गौरतलब है कि इस तरह के आरोप कुछ मौलानाओं पर भी लगाए गए थे, जिनमें से कुछ जेल में भी बंद हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण को एक गंभीर मामला बताया है, जिससे देश की एकता को खतरा पैदा हो सकता है। अदालत ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण बहुत गंभीर समस्या है। अगर इसे नहीं रोका गया तो बहुत कठिनाई पैदा हो जाएगी। अदालत ने इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी जोर दिया है। लेकिन जबरन धर्मांतरण की न तो संविधान अनुमति देता है और न ही किसी धर्म में इसकी कोई गुंजाइश है। हिंदुस्तान एक सेक्युलर देश है। यहां धर्मांतरण करना प्रत्येक व्यक्ति का कानूनी अधिकार है।

समाचारपत्र का कहना है कि जबरन धर्म परिवर्तन इस्लाम की आत्मा और उसकी प्रकृति के ही खिलाफ है। मुसलमान इस देश पर सदियों तक शासक रहे, लेकिन इस दौर में उनकी जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई और न ही जबरन धर्मांतरण की कोई घटना हुई। हालांकि, आजादी के बाद से ईसाई पादरियों पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि धर्मांतरण के कारण जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है। अब इस अभियान में मुसलमानों को भी शामिल कर लिया गया। कई राज्यों में इसके विरूद्ध कानून भी बनाए गए हैं। हद तो यह है कि अगर कोई अपनी इच्छा से धर्मांतरण करता है तो उसे भी देशद्रोही करार दे दिया जाता है। हालांकि, हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में धर्मांतरण का अनुपात प्रति वर्ष सिर्फ दो प्रतिशत है और इससे किसी धार्मिक वर्ग की आबादी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार जितने लोग हिंदू धर्म छोड़ते हैं, उससे ज्यादा लोग धर्मांतरण करके हिंदू बन जाते हैं। लेकिन देश की वर्तमान राजनीति में धर्मांतरण को एक हौवा बनाकर पेश किया जा रहा है, ताकि उससे वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके।

विश्व

ब्रिटेन में इस्लाम का तेजी से प्रसार

इंकलाब (1 दिसंबर) के अनुसार ब्रिटेन में हुई जनगणना के आंकडों के अनुसार ईसाईयों की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। जबकि इस्लाम के अनुयायियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार ब्रिटेन और वेल्स में ईसाईयों की जनसंख्या में 13 प्रतिशत की गिरावट के बाद अब वहां पर ईसाईयों की जनसंख्या देश की आधी जनसंख्या से भी कम रह गई है।

संवाद समिति एएफपी के अनुसार 2021 में हुई जनगणना के अनुसार मुसलमानों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। ब्रिटेन और वेल्स में दो करोड़ 75 लाख लोगों ने जनगणना में अपने आप को ईसाई बताया है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 46 प्रतिशत है। गत दस वर्षों में इनकी संख्या में 13 प्रतिशत की गिरावट आई है। जबकि मुसलमानों की जनसंख्या 39 लाख तक पहुंच गई है, जो कि कुल जनसंख्या का 6.5 प्रतिशत हिस्सा हैं।

इससे पूर्व 2011 में हुई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मुसलमानों की जनसंख्या सिर्फ 4.5 प्रतिशत थी। इस तरह से इस्लाम देश में सबसे तेजी से फैलने वाले धर्म के रूप में सामने आया है। दूसरे नंबर पर हिंदू हैं, जिनकी जनसंख्या दस लाख है। जबकि सिखों की जनसंख्या 5 लाख 24 हजार है। बौद्ध धर्म को मानने वालों की जनसंख्या यहूदियों के मुकाबले में बढ़ गई है। आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन में इस समय दो लाख 73 हजार बौद्ध हैं। जबकि यहूदियों की जनसंख्या 2 लाख 71 हजार है।

यॉर्क के आर्कबिशप ने यह स्वीकार किया है कि ईसाईयों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। बढ़ती महंगाई और यूरोप में तेजी से बढ़ रही नास्तिकता के कारण अब लोग ईसाईयत से दूर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

काबुल में चीनी होटल में धमाका

इंकलाब (13 दिसंबर) के अनुसार गत दिनों अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक चीनी होटल में धमाका हुआ। इसके बाद आक्रमणकारी होटल में घुस गए और उन्होंने अंधाधुंध गोली चलाईं। इस हमले में कम-से-कम 21 लोग घायल हो गए और कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। सैनिकों की जवाबी कार्रवाई में तीनों आक्रमणकारियों को भी मार दिया गया। काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जादरान ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि इस होटल में चीनी नागरिक ठहरते हैं और उसे जान बूझकर निशाना बनाया गया है। धमाके से इस होटल में आग लग गई। उन्होंने कहा कि यह बहुमंजिला इमारत है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार मरने वालों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। गौरतलब है कि इस हमले से पूर्व चीन के राजदूत ने अफगानिस्तान के उपविदेश मंत्री से मुलाकात की थी और उन्होंने यह आशंका व्यक्त की थी कि अफगानिस्तान में चीनियों पर होने वाले हमलों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। इसलिए उन्होंने चीनी दूतावास और चीनी नागरिकों की रक्षा व्यवस्था कड़ी करने का आग्रह किया था।

इंकलाब (14 दिसंबर) के अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि घायल होने वालों में कम-से-कम पांच चीनी नागरिक शामिल हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस हमले में मरने वाले अफगान सैनिकों के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। समाचारपत्र ने यह भी कहा है कि इस हमले के एक दिन बाद इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है।

इंकलाब (15 दिसंबर) के अनुसार चीन सरकार ने अफगानिस्तान में रहने वाले अपने सभी चीनी नागरिकों को यह निर्देश दिया है कि वे तुरंत अफगानिस्तान छोड़ दें। क्योंकि, वहां पर स्थिति ठीक नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वहां की स्थिति को देखते हुए हमने अपने सभी नागरिकों को तुरंत अफगानिस्तान से निकल जाने का निर्देश दिया है। प्रवक्ता ने यह स्वीकार किया कि इस फैसले से अफगानिस्तान को आर्थिक परेशानियां होंगी। क्योंकि, चीनी वहां पर अनेक परियोजनाओं में भागीदार हैं और वहां पर चीन भारी मात्रा में पूंजी निवेश कर रहा है।

रोजनामा सहारा (1 दिसंबर) के अनुसार अफगानिस्तान के प्रांत समांगन में हुए एक धमाके में मदरसे में नमाज अदा कर रहे कम-से-कम 40 लोग मारे गए और 27 घायल हो गए। जबकि सरकारी तौर पर 20 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है, जिनमें दस छात्र हैं। इस धमाके की जिम्मेवारी इस्लामिक स्टेट ने स्वीकार की है।

स्थानीय अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि मरने वाले अधिकांश युवा हैं। पर्यवेक्षकों का संदेह है कि इस्लामिक आतंकी गुट आईएसआईएस अपने हमलों में वृद्धि कर सकता है।

मुंबई उर्दू न्यूज (5 दिसंबर) के अनुसार आईएसआईएस ने काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर हुए हमले की जिम्मेवारी स्वीकार की है और एक वीडियो जारी करके इस्लामिक स्टेट की खुरासान शाखा के प्रवक्ता ने कहा है कि हमने यह हमला इसलिए किया है, क्योंकि पाकिस्तानी इस्लाम का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने पाकिस्तानी राजदूत और उनके अंगरक्षकों पर हमला किया था। इस हमले में एक सुरक्षा गार्ड मारा गया था। काबुल पुलिस के एक प्रवक्ता के अनुसार इस हमले के सिलसिले में एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले की निंदा की है। हालांकि, पाकिस्तान ने अभी तक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। मगर उसने काबुल में अपना दूतावास बंद नहीं किया है और उसके राजदूत और अन्य कर्मचारी वहां मौजूद हैं। पाकिस्तानी दूतावास के एक अधिकारी ने संवाद समिति 'एएफपी' को बताया कि पाकिस्तान के दूतावास पर गोलियां चलाई गई थीं। हालांकि, उससे दूतावास को कोई क्षति नहीं पहुंची। अफगान विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आतंकियों की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए हमने विदेशी दूतावासों और नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने का फैसला किया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (9 दिसंबर) के अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकवादी हमलों को देखते हुए आईएसआईएस की खुरासान शाखा और आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने का फैसला किया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हाल ही में इस्लामिक आतंकी संगठनों की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। प्रवक्ता ने कहा कि हम अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमले के लिए लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देंगे।

बांग्लादेश में जमात–ए–इस्लामी के अमीर गिरफ्तार

सहाफत (15 दिसंबर) के अनुसार बांग्लादेश पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख को आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में विपक्षियों द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के लिए हो रहे उग्र प्रदर्शनों में जमात-ए-इस्लामी ने भाग लेने की घोषणा की थी। बांग्लादेश में गत एक दशक से जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध है। ढाका पुलिस ने

जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान को उनके घर से गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश सरकार ने 2012 में जमात-ए-इस्लामी के चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जमात-ए-इस्लामी ने इस गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा है कि इस तरह की कार्रवाई का लक्ष्य विपक्ष को कुचलना और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करना है।

गौरतलब है कि शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश अवामी लीग ने 2012 में जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया था और उसकी पूरी लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया था। जमात-ए-इस्लामी पर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान के साथ सहयोग करने का आरोप है। अब तक जमात-ए-इस्लामी से संबंधित 50 से अधिक लोगों को फांसी दी जा चुकी है। इन फांसियों के खिलाफ हुए उग्र प्रदर्शनों के दौरान जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने काफी संख्या में गोली मारकर हत्या कर दी और हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी द्वारा देश में प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है और वे शेख हसीना से त्यागपत्र देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब से शेख हसीना सत्ता में आई हैं, देश में कभी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं हुए हैं। इसलिए यह जरूरी है कि वर्तमान सरकार को बर्खास्त करके कार्यकारी सरकार का गठन किया जाए, जिसकी निगरानी में देश में नए सिरे से चुनाव करवाए जाएं।

सियासत (12 दिसंबर) के अनुसार गत कई दिनों से बांग्लादेश में पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों और बिजली की कमी के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं और इस बात की मांग की जा रही है कि शेख हसीना प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दें। इन प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है, जिसके तहत कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। सैनिकों ने बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मुख्यालय पर छापा मारा था। इस कार्रवाई में कम से कम छह लोग मारे गए थे और अनेक लोग घायल हो गए थे।

रिश्वत लेने के आरोप में यूरोपीय संसद की नेता गिरफ्तार

सियासत (14 दिसंबर) के अनुसार खाड़ी देश से रिश्वत लेने के आरोप में यूरोपीय संसद की उपाध्यक्ष ईवा कैली को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन पर एक खाड़ी देश से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद उनके मकान की तलाशी ली गई थी। बेल्जियम सरकार को संदेह है कि खाड़ी देश नकदी या उपहारों द्वारा यूरोपीय संसद की नीतियों पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में इस संदर्भ में बेल्जियम पुलिस ने चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, जिनसे मिले सुराग के बाद उपाध्यक्ष ईवा कैली के आवास पर छापा मारा गया

और वहां से भारी मात्रा में धनराशि बरामद की गई।

बेल्जियम की मीडिया के अनुसार कतर ने इस यूरोपीय राजनेता को भारी मात्रा में रिश्वत दी थी। जबकि कतर ने इस आरोप का खंडन किया है और कहा है कि उन्होंने इस तरह के किसी भी भ्रष्टाचार में हिस्सा नहीं लिया है। बेल्जियम पुलिस ने ब्रुसेल्स में 16 स्थानों पर छापे मारे थे। इस दौरान छह लाख यूरो की धनराशि बरामद की गई थी। कहा जाता है कि यह धनराशि उस रकम का एक हिस्सा है, जो कि कतर सरकार ने यूरोपीय यूनियन संसद के कुछ नेताओं को रिश्वत के रूप में दी थी।

एक अन्य समाचार के अनुसार यूनान के अधिकारियों ने ईवा कैली के रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट और उनकी कंपनियों के खातों को सील कर दिया है। इसके अतिरिक्त कैली और उनके पति की एक रियल स्टेट कंपनी के बैंक अकाउंट को भी फ्रिज किया गया है। यूनान सरकार ने कहा है कि वह रिश्वत के आरोपों की जांच कर रही है।

रोजनामा सहारा (13 दिसंबर) के अनुसार कतर सरकार ने यूरोपीय संसद के कुछ नेताओं को रिश्वत दिए जाने के आरोप का खंडन किया है और कहा है कि इस संबंध में कतर को जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है वह आधारहीन है और उसका तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं है।

विद्रोह की आशंका के कारण जर्मनी में अस्त्र–शस्त्र नियमों में कड़ाई

इंकलाब (13 दिसंबर) के अनुसार जर्मनी की गृह मंत्री नैन्सी फैसर ने कहा है कि दक्षिणपंथी कट्टरवादी समूहों की ओर से जर्मन सरकार का तख्ता पलटने और पुराने शाही खानदान को फिर सत्ता में लाने की जो साजिश रची गई थी, उसके कारण देश में अस्त्र-शस्त्र रखने और उन्हें खरीदने के नियमों को कड़ा करने का फैसला किया गया है। उन्होंने एक जर्मन समाचारपत्र को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अतिवादी दक्षिणपंथी पार्टी जर्मनी के लिए खतरा है, जिसका प्रभाव जनता में बढ़ रहा

है। गुप्तचर सूत्रों के अनुसार पिछले वर्ष इस पार्टी से 2 हजार लोग जुड़े थे। अब इनकी संख्या

बढ़कर 23 हजार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये लोग मासूम नहीं हैं, बल्कि आतंकी हैं। इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि, वे इस देश की शांति को कभी भी खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जर्मन सरकार ने यह फैसला किया है कि संदिग्ध अतिवादी लोगों को अस्त्र-शस्त्र इकट्ठा करने से रोका जाए। इसी वजह से सरकार ने अस्त्र-शस्त्र अपने कब्जे में रखने और उसकी बिक्री पर कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस संगठन से संबंधित एक हजार घरों पर छापा मारने के दौरान भारी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र बरामद हुए हैं और अभी भी 500 से अधिक लोगों के पास अस्त्र-शस्त्र मौजूद हैं, जिनको सरकार अपने कब्जे में लेने के लिए कड़े कदम उठा रही है।

गौरतलब है कि 7 दिसंबर को जर्मन सरकार ने संसद पर सशस्त्र हमले की साजिश रचने के आरोप में दक्षिणपंथी संगठन के नेताओं और सेवानिवृत्त उच्च सैनिक अधिकारियों सहित 25 लोगों को गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि यह संगठन जर्मनी में राजनीति पर कब्जा करना चाहता था। इसलिए उन्होंने भारी मात्रा में हथियार इकट्ठे किए और उन्हें चलाने के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों की भर्ती की। इस साजिश की योजना जर्मनी के एक पुराने शाही खानदान के व्यक्ति ने तैयार की थी। शाही खानदान के जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, वे अपने नाम के साथ प्रिंस शब्द का इस्तेमाल करते थे और वे एक पुराने शाही महल में रहते थे। इस शाही परिवार का पूर्वी जर्मनी के कई क्षेत्रों में शासन रहा है। बताया जाता है कि इन लोगों ने कुछ विदेशी नेताओं से भी संपर्क स्थापित किया था।

पश्चिम एशिया

रूस द्वारा सीरिया और तुर्की के बीच समझौते का प्रयास

रोजनामा सहारा (6 दिसंबर) के अनुसार रूस के प्रयास से दस वर्ष के बाद पहली बार सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के बीच मुलाकात हुई है। गौरतलब है कि इन दोनों देशों के बीच गत दस वर्षों से युद्ध जारी है। अमेरिकी राजनीतिक क्षेत्रों में रूस द्वारा अरब जगत में पैर पसारने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की जा रही है। इसके साथ ही, रूस के इन प्रयासों पर ईरान ने भी आशंका व्यक्त की है। डिप्लोमेटिक सूत्रों के अनुसार रूस इस बात का प्रयास कर रहा है कि सीरिया पर तुर्की के हमले को रोका जा सके।

गौरतलब है कि तुर्की इस संबंध में काफी समय से धमकियां दे रहा है और अब उसने सीरिया के खिलाफ जमीन पर युद्ध छेड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। इन तैयारियों के कारण रूस परेशानी का सामना कर रहा है और वह तुर्की पर इस बात के लिए दबाव डाल रहा है कि वह कोई ऐसा कदम न उठाए, जिससे कि विश्व युद्ध छिड़ने की संभावना बढ़ जाए।

हाल ही में सीरिया के उप विदेश मंत्री बशर जाफरी को रूस में सीरिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। उनके प्रयासों के कारण रूस सीरिया पर तुर्की के हमले को रोकने के लिए सक्रिय हो गया है। ईरानी मामलों के एक विशेषज्ञ ने कहा है कि रूस के इन प्रयासों से इराक और सीरिया में जो परिवर्तन होंगे, वे ईरान के लिए खतरनाक हैं।

गौरतलब है कि वर्ष 2011 से तुर्की और सीरिया के बीच बेहद तनावपूर्ण संबंध हैं। क्योंकि, तुर्की ने सीरिया सरकार के खिलाफ सक्रिय विद्रोहियों को सहायता देने की घोषणा की थी। सीरिया ने तुर्की पर यह आरोप लगाया था कि वह विद्रोहियों को सहायता देकर इस क्षेत्र की शांति व्यवस्था को अस्थिर कर रहा है।

बेंजामिन नेतन्याहू अपने मंत्रिमंडल का गठन करने में विफल

रोजनामा सहारा (11 दिसंबर) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हालांकि, सत्ता तो संभाल ली है, मगर उनके नेतृत्व में बने गठबंधन के बीच खींचतान के कारण अभी तक वे अपने मंत्रिमंडल का गठन करने में सफल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने नए मंत्रिमंडल के गठन के लिए इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग से दो सप्ताह का समय मांगा था। मगर इसे इजरायली राष्ट्रपति ने स्वीकार नहीं किया है और मंत्रिमंडल का गठन करने के लिए नेतन्याहू को राष्ट्रपति की ओर से दस दिनों का समय दिया गया है।

इस अवधि में इस बात की बहुत कम संभावना है कि नेतन्याहू अपने मंत्रिमंडल का गठन कर पाएं। दूसरी ओर, इजरायल के पूर्व कार्यकारी प्रधानमंत्री यैर लापिड ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर नेतन्याहू के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों को तेज कर दिया है। लैपिड ने कहा है कि यह जुनूनी लोगों की सरकार है और इससे न सिर्फ लोकतंत्र को बल्कि सेना और न्यायपालिका को भी क्षति पहुंचेगी।

गौरतलब है कि इजरायली संसद में नेतन्याहू को सिर्फ एक सांसद का ही बहुमत प्राप्त है। बताया जाता है कि गठबंधन में शामिल विभिन्न दलों में इस बात की होड़ चल रही है कि महत्त्वपूर्ण विभागों को उनके हवाले किया जाए। इजरायल में गत साढ़े तीन वर्षों से भीषण अस्थिरता चल रही है और इस अवधि में पांच बार चुनाव हो चुके हैं, मगर अभी तक किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है।

बंदरगाह के निर्माण के लिए छह अरब डॉलर का समझौता

हमारा समाज (15 दिसंबर) के अनुसार सूडान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच लाल सागर के तट पर एक नए बंदरगाह और वित्तीय क्षेत्र बनाने के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस परियोजना पर छह अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है। सूडान के वित्त मंत्री जिब्रिल इब्राहिम ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद बताया कि इस बंदरगाह के निर्माण से सूडान के आर्थिक विकास में भारी वृद्धि होगी। इस बंदरगाह का नाम अबु अमामा रखा गया है। यह समझौता अबुधाबी की एक कंपनी ए.डी. पोर्ट्स ग्रुप के साथ हुआ है। इस कंपनी के प्रमुख ओसामा दाउद अब्दुल लतीफ हैं।

गौरतलब है कि दो वर्ष पूर्व सूडान में हुई सैनिक क्रांति के बाद वहां पर आर्थिक संकट चल रहा है। पिछले वर्ष सूडान की सेना और

राजनीतिक दलों के बीच संकट को टालने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। 2021 में सूडानी सेना के तत्कालीन प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने अब्दुल्ला हमदोक को सत्ता से बाहर कर दिया था। इसके बाद सूडान में लोकतंत्र की बहाली के लिए उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। इससे घबराकर सेना और राजनीतिक दलों को आपस में समझौता करना पड़ा है। सूडान की न्यूज एजेंसी ने यह आशा व्यक्त की है कि इस समझौते के बाद सूडान में आर्थिक विकास के नए युग की शुरुआत होगी।

ईरान में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी

इत्तेमाद (11 दिसंबर) के अनुसार विश्व के दबाव और जनता के उग्र प्रदर्शनों से घबराकर ईरान सरकार ने कुख्यात 'मॉरल पुलिस' को भंग करने की घोषणा की है। मगर इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। देश भर में उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि ईरान में इन प्रदर्शनों में भाग लेने के कारण कम-से-कम 500 से अधिक लोगों को फांसी पर लटकाया गया है और 14 हजार से अधिक लोगों को जेलों में डाला गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (15 दिसंबर) के अनुसार ईरान में चल रहे प्रदर्शनों में भाग लेने के आरोप में 400 से अधिक प्रदर्शनकारियों को सजा दी गई है। इसकी पुष्टि करते हुए तेहरान के न्यायपालिका प्रमुख अली अलघासी-मेहर ने कहा है कि 160 प्रदर्शनकारियों को 5 से 10 वर्ष की कैद, 80 प्रदर्शनकारियों को 2 से 5 वर्ष की कैद और 160 प्रदर्शनकारियों को दो वर्ष तक की सजा सुनाई गई है।

पिछले सप्ताह इन प्रदर्शनों में भाग लेने के कारण दो प्रमुख असंतुष्ट नेता मजीदरेजा और मोहसिन शेकारी को खुदा से दुश्मनी के आरोप में सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया गया है। इन दोनों की उम्र 23 वर्ष थी। सड़क पर उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाने के कारण जनाक्रोश में और भी उबाल आ गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (11 दिसंबर) के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की भांजी को प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के कारण तीन

वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि सर्वोच्च नेता खामेनेई की बहन और उनके पूरे परिवार ने खुलकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। ईरानी नेता की बहन ने अपने भाई से अपील की है कि वे तानाशाही तरीकों को छोड़कर विरोधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से बाज आएं। जानकार सूत्रों के अनुसार खामेनेई की बहन के पूरे परिवार को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है।

सर्वोच्च नेता की भांजी फरीदा मोरादखानी के वकील मोहम्मद हुसैन अघासी ने विदेशी मीडिया को बताया कि पहले फरीदा को 15 वर्ष सख्त कैद की सजा सुनाई गई थी, मगर बाद में अपील के बाद यह सजा घटाकर तीन वर्ष कर दी गई। उन्होंने कहा कि मोरादखानी परिवार ने विश्व के देशों से अपील की है कि वे ईरान के साथ अपने संबंधों को तोड़ लें। अघासी ने एक ट्वीट में कहा है कि फरीदा मोरादखानी को मुस्लिम उलेमा की एक विशेष अदालत ने सजा सुनाई है, जो कि हाल ही में गठित की गई थी। यह अदालत ईरान की परंपरागत न्याय व्यवस्था का हिस्सा नहीं है।

इत्तेमाद (11 दिसंबर) के अनुसार यूरोपीय यूनियन ने ईरान के कई प्रमुख नेताओं और संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें ईरानी रेडियो और टीवी भी शामिल हैं। इसकी जवाबी कार्रवाई में ईरानी विदेश मंत्रालय ने यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के नौ संगठनों और 23 प्रमुख व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया है। ईरान सरकार का दावा है कि ये विदेशी मीडिया चैनल जानबूझकर झूठे समाचार प्रसारित कर रहे हैं। जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक ने ईरान में राजनीतिक विरोधियों को सड़कों पर फांसी पर लटकाने की निंदा की है और कहा है कि सरकार विपक्ष का गला घोंट रही है और वह ईरानी जनता को डराना चाहती है।

इजरायली राष्ट्रपति का बहरीन दौरा

इंकलाब (6 दिसंबर) के अनुसार इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग सरकारी दौरे पर बहरीन की राजधानी मनामा पहुंच गए हैं। यह किसी भी इजरायली नेता द्वारा अरब देश का पहला सरकारी दौरा है। उन्होंने वहां पर यहूदी समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। इजरायली राष्ट्रपति के बहरीन दौरे के खिलाफ बहरीन में उग्र प्रदर्शन भी हुए हैं। दूसरी ओर, एक फिलिस्तीनी संगठन ने भी बहरीन की इस बात के लिए निंदा की है कि उसने अरबों के एक

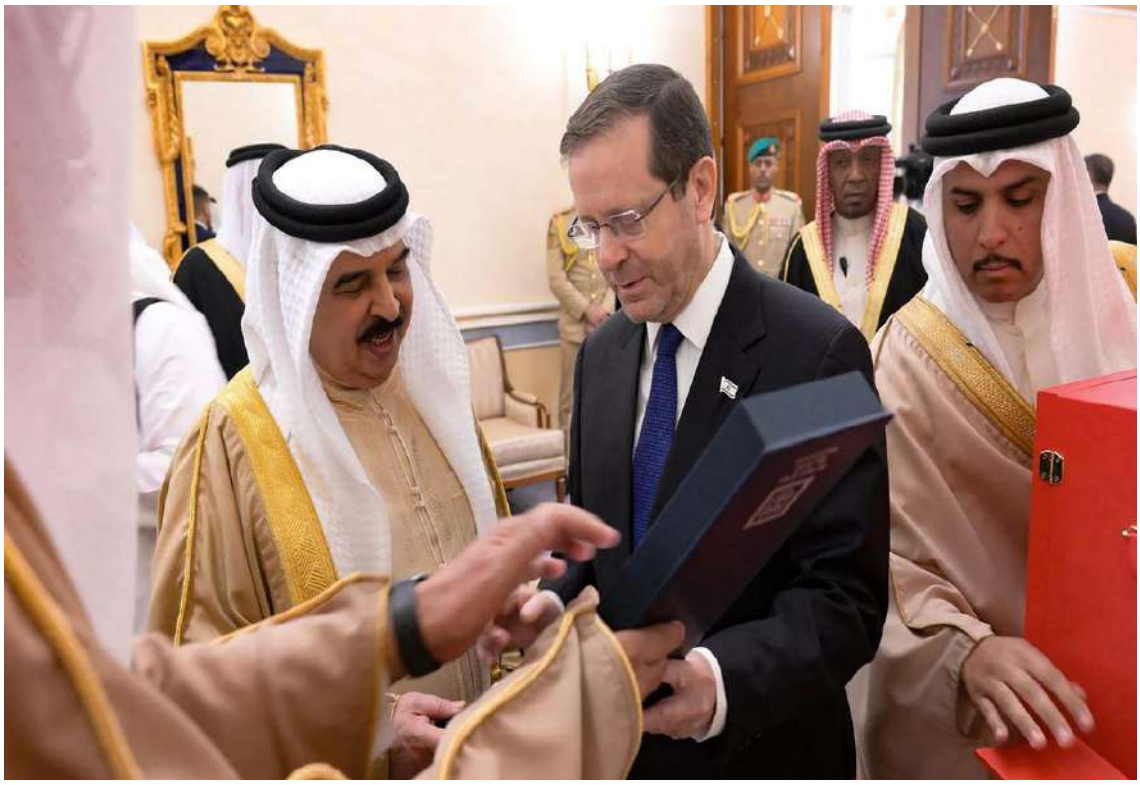

दुश्मन इजरायल के साथ हाथ मिलाया है। इस संगठन ने कहा कि अमेरिका के दबाव के कारण बहरीन और इजरायल के बीच अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद इजरायल के आक्रामक इरादों में वृद्धि हुई है। इसलिए वे अरब और इस्लाम के दुश्मनों के साथ संबंध स्थापित करने से बाज आएं।

विदेशी संवाद समिति 'एएफपी' के अनुसार इजरायल के राष्ट्रपति ने बहरीन के शाह और युवराज से लंबी मुलाकात की। गौरतलब है कि 2020 में संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को और बहरीन ऐसे अरब देश थे, जिन्होंने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। यह कदम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दबाव पर उठाया गया था। इससे पूर्व इजरायल के मिस्र और जॉर्डन के साथ भी शांति समझौते हैं। इजरायली राष्ट्रपति ने ट्विटर पर कहा है कि शांति, भाईचारे और मित्रता के लिए बहरीन के शासक ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि मेरे इस दौरे के कारण बहरीन के साथ रक्षा, व्यापार और पर्यटन के क्षेत्रों में नए अध्याय की शुरुआत होगी।

एक अन्य समाचार के अनुसार आतंकवादी संगठन हमास के राजनीतिक मामलों के प्रमुख बासिम नईम ने इजरायली राष्ट्रपति के बहरीन दौरे की निंदा की है और इसे शर्मनाक घटना बताया है। उन्होंने कहा कि अभी तक बहरीन फिलिस्तीन के अरबों का समर्थक था, मगर अब उसने एक ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाया है, जिसके हाथ हमारे निहत्थे नागरिकों के खून से रंगे हुए हैं।

अन्य

अमेरिकी अधिकारियों द्वारा दारूल उलूम देवबंद का दौरा

सियासत (7 दिसंबर) के अनुसार अमेरिकी दूतावास की राजनीतिक मामलों की उपसचिव मिशेल एल्मस ने देवबंद स्थित दारूल उलूम का दौरा किया और उन्होंने वहां पर दारूल उलूम के प्रमुख मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी और उप प्रमुख मौलाना अब्दुल खालिक मद्रासी से मुलाकात की। इन दोनों मुस्लिम नेताओं ने उन्हें बताया कि दारूल उलूम देवबंद का देश के स्वतंत्रता संग्राम में अहम हिस्सा रहा है और यह गत 150 वर्षों से गरीब मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार का प्रयास कर रहा है। इसलिए कभी किसी सरकार से कोई सहायता नहीं ली गई और इसमें 5 हजार के लगभग छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें अनेक विदेशी छात्र भी हैं।

न्यूजीलैंड में युवकों के सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध

अवधनामा (15 दिसंबर) के अनुसार न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून पारित किया है, जिसके तहत सिगरेट पीने को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त तंबाकू की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस कानून के तहत 1 जनवरी 2000 के बाद पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति को सिगरेट और तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो इस पाबंदी का उल्लंघन करेगा उसे डेढ़ लाख डॉलर का जुर्माना किया जाएगा। सरकार ने यह फैसला कैंसर की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए किया है। सरकार का यह प्रयास है कि 2025 तक देश को पूर्ण रूप से तंबाकू मुक्त किया जाए। इसके अतिरिक्त सरकार तंबाकू और सिगरेट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान भी चला रही है।

मुस्लिम देश का चंद्रमा पर लैंड करने वाला मिशन

सियासत (12 दिसंबर) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात विश्व का पहला ऐसा मुस्लिम देश है, जो कि चंद्रमा पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में इस लक्ष्य से अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के लांचिंग सेंटर से अंतरिक्ष के लिए एक रॉकेट दागा गया है। यह रॉकेट जापान के सहयोग से बनाया गया है। लॉन्च किए जाने के 35 मिनट बाद आईस्पेस लैंडर रॉकेट से अलग हो गया है। यह

रॉकेट चंद्रमा पर जाकर वहां की भूमि पर पाए जाने वाली सामग्री को वापस भेजेगा। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी संयुक्त अरब अमीरात मंगल ग्रह पर अपना एक रॉकेट भेज चुका है। हालांकि, अभी तक सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस के ही रॉकेट चंद्रमा पर सुरक्षित लैंड हुए हैं। हाल ही में भारत और इजरायल ने भी चंद्रमा पर अपना रॉकेट भेजने का प्रयास किया था। मगर ये प्रयास विफल रहे थे।

उस्मानिया विश्वविद्यालय में सिविल सेवा अकादमी की स्थापना

इत्तेमाद (15 दिसंबर) के अनुसार उस्मानिया विश्वविद्यालय में सिविल सेवा अकादमी को प्रारंभ किया गया है, जिसमें छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस अकादमी का उद्घाटन तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने किया। विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रो. डी. रविंद्र ने बताया कि इस अकादमी में प्रशिक्षण के आधुनिक तरीके अपनाए जाएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र भी अखिल भारतीय सेवा की परीक्षाओं में सफलता पा सकें। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं, ताकि देश के प्रशासनिक ढांचे में तेलंगाना को उसका उचित स्थान प्राप्त हो सके।

उमरा वीजा की अवधि में नहीं होगा विस्तार

सियासत (12 दिसंबर) के अनुसार सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि उमरा के लिए जो तीन महीने की अवधि के वीजा जारी किए गए हैं, उनमें किसी तरह का विस्तार नहीं किया जाएगा। सऊदी सरकार के अनुसार उमरा परमिट के लिए 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे ही अपने माता-पिता के साथ उमरा कर सकेंगे। सरकार ने उमरा की अनुमति प्राप्त करने वालों के लिए कोरोना का टीका लगवाना अनिवार्य घोषित किया है। इस वर्ष दस लाख लोगों के उमरा करने की संभावना है। उमरा और हज से सऊदी सरकार को भारी मात्रा में आय होती है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

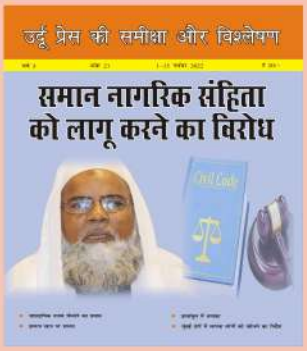

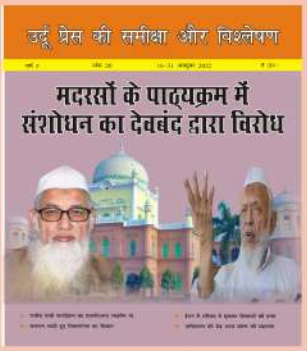

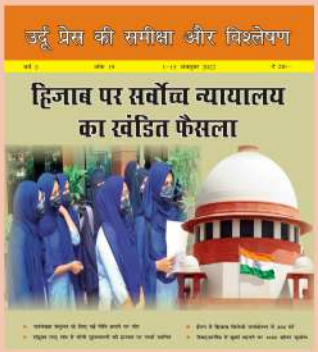

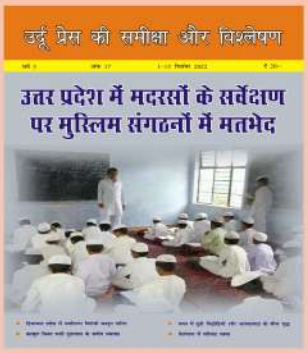

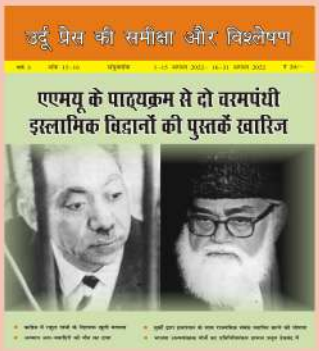

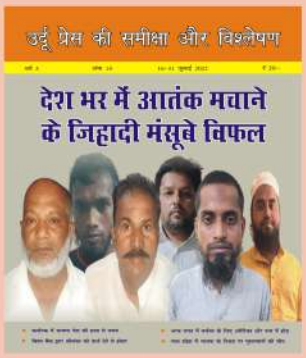

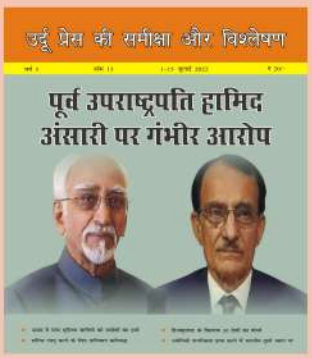

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in